



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012024-251651  
CG-DL-E-30012024-251651

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 70]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

संख्या 08/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 78(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(i) क्रम संख्या 377 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) सेलुलर मोबाईल फोन के स्कू, सिम साकेट या धातु के अन्य मैकेनिकल आइटम्स;” ;

(ii) क्रम संख्या 377ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/190/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]  
विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

**टिप्पणी:** - मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि.सं. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि.सं. 72(अ), दिनांक 29 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

#### No. 08/2024-Customs

**G.S.R. 78(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 377, in column (3), for the item (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -  
“(ii) Screw, SIM socket, or other mechanical items of Metal for cellular mobile phone;”;
- (ii) S. No. 377B and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. CBIC-190354/190/2022-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 06/2024-Customs, dated the 29<sup>th</sup> January, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 72(E), dated the 29<sup>th</sup> January, 2024.

## अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

संख्या 09/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 79(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 798 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1क	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 1 में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1";

- (iii) क्रम संख्या 6ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6घ	39, 73	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल:-  (i) बैट्री कवर (ii) फ्रंट कवर (iii) मिडल कवर (iv) मुख्य लैस (v) बैक कवर (vi) जीएसएम एन्टीना/किसी प्रौद्योगिकी का एन्टीना (vii) पीयू केस/सिलिंग गास्केट – पालीयूरेथेन फोम की अन्य वस्तुएं, जैसे सिलिंग गास्केट/केस (viii) पीई, पीपी, ईपीएस, पीसी से सिलिंग गास्केट/केस और सभी अन्य व्यष्टिक पालीमर या संयोजन/पालीमरों के संयोजन (ix) सिम साकेट	10%	1

		(x) पेच (xi) प्लास्टिक की अन्य यांत्रिक मदें (xii) धातु की अन्य यांत्रिक मदें		
6ड.	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 6घ में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
6च	39	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल:-  (i) कंडक्टिव क्लैथ (ii) एलसीडी कंडक्टिव फोम (iii) एलसीडी फोम (iv) बीटी फोम (v) हीट डिसेपेशन स्टीकर बैटरी कवर (vi) स्टीकर बैटरी स्लाट (vii) मुख्य लेंस के लिए संरक्षा फिल्म (viii) एलसीडी एफपीसी के लिए माइलार (ix) फिल्म फ्रंट फ्लैश	10%	1
6छ	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 6च में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
6ज	8538 90 00	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए साइड की	10%	1
6झ	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 6ज में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
6ञ	8517 79 90	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी माल	10%	1”;

(iv) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii), (x), (xi), (xxiv), और (xxvi) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/190/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

**नोट:** -मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 71 (अ), दिनांक 01 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2024

**No. 09/2024-Customs**

**G.S.R. 79(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

(i) against S. No. 1, in column (4), for the entry, the entry “10%” shall be substituted;

(ii) after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1A	Any Chapter	Inputs or parts for use in manufacture of goods mentioned at S. No. 1 above	Nil	1”;

(iii) after S. No. 6C and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6D	39, 73	The following goods for use in manufacture of cellular mobile phones:-  (i) Battery cover (ii) Front cover (iii) Middle cover (iv) Main lens (v) Back cover (vi) GSM Antenna/Antenna of any technology (vii) PU case/Sealing Gasket – Other articles of Polyurethane foam like sealing gaskets/case (viii) Sealing Gaskets/ Cases from PE, PP, EPS, PC and all other individual polymers or combination/combinations of polymers (ix) SIM socket (x) Screw (xi) Other mechanical items of plastic (xii) Other mechanical items of metal	10%	1
6E	Any Chapter	Inputs or parts for use in manufacture of goods mentioned at S. No. 6D above	Nil	1
6F	39	The following goods for use in manufacture of cellular mobile phones:-  (i) Conductive cloth (ii) LCD conductive foam (iii) LCD foam (iv) BT foam (v) Heat dissipation sticker battery cover (vi) Sticker-Battery slot	10%	1

		(vii) Protective film for main lens (viii) Mylar for LCD FPC (ix) Film-front flash		
6G	Any Chapter	Inputs or parts for use in manufacture of goods mentioned at S. No. 6F above	Nil	1
6H	8538 90 00	Side key for use in manufacture of cellular mobile phones	10%	1
6I	Any Chapter	Inputs or parts for use in manufacture of goods mentioned at S. No. 6H above	Nil	1
6J	8517 79 90	All goods for use in manufacture of cellular mobile phone	10%	1”;

(iv) against S. No. 7, in column (3), items (viii), (x), (xi), (xxiv), and (xxvi) shall be omitted.

[F. No. CBIC-190354/190/2022-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 06/2023-Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 71(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2023.